कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर (राज0)

(जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, अलवर)

Contact Us : Phone No :- 0144- 2940098 Email ID :- dlsa2alwar@gmail.com

क्रमांक : पीएलवी भर्ती 2023/१५५ दिनांक : ०२/०५/२३

विज्ञप्ति

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 2()रालसा/डीएस–प्रथम/26081–26111 दिनांक 13.09.2019 के निर्देशानुसार Scheme for Para-Legal Volunteers (Revised) 2013 में एफ 2()/डीएस–1/रालसा/2023/1766–1801 दिनांक 17.01.2023 के निर्देशानुसार Scheme for Para-Legal Volunteers (Revised) 2013 में वर्णित प्रावधानानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर मुख्यालय एवं पंचायत समितियों रामगढ, उमरैण, मालाखेडा, बहरोड, नीमराना, किशनगढबास, कोटकासिम, राजगढ, रैणी, लक्ष्मणगढ, गोविन्दगढ, तिजारा, बानसूर, कठूमर, भनोखर, मुण्डावर, थानागाजी में पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स को पैनलित किया जाना है, जो स्थानीय सीमा (परन्तुक अलग वार्ड या क्षेत्र) के निवासी हो। प्रत्येक पंचायत समिति के लिए स्थानीय पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में निवासरत की शर्त की पालना करते हुए, प्रत्येक ग्राम पंचायत, के लिए **04–04** पैरा लीगल वॅालेन्टीयर्स, (अलग–अलग गांव के निवासी हो) को पैनलित किया जाना है। अतः पुलिस थानों/नगर परिषद/नगर पालिका, कारागृह/उपकारागृह इत्यादि एवं विधिक जागरूकता टीम में कार्य करने हेतु पैरा लीगल वॉलंटीयर्स के **कुल 78 पदों** पर प्रशिक्षण एवं नियुक्ति हेतु चयन कर पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

(1) **शैक्षणिक योग्यता** : आवेदक को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए।

(2) **आवेदन पत्र** : इस परीक्षा हेतु अभ्यर्थी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर मुख्यालय हेतु अथवा संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति (बहरोड, किशनगढबास, राजगढ, लक्ष्मणगढ, तिजारा, बानसूर, कठूमर, मुण्डावर, थानागाजी) के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रफोर्मा में निर्धारित दिनांक. **20.05.2023.** को समय **01:00** बजे तक पूर्ण रूप से भरकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर मुख्यालय अथवा संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति (बहरोड, किशनगढबास, राजगढ, लक्ष्मणगढ, तिजारा, बानसूर, कठूमर,मुण्डावर, थानागाजी) में जमा करवाया जा सकेगा। **(प्रारूप सं. 01 देखें)**

(3) **परीक्षा** : आवेदकों की सूची में से चुने गये उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार लिया जायेगा, जिसमें से चयनित अभ्यर्थियों को सफल घोषित किये जाकर उन्हे पी.एल.वी. पद पर कार्य करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जिसके पश्चात् उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त पी.एल.वी. माना जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त पैरा लीगल वोलेन्टीयर्स को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहचान पत्र दिया जायेगा।

(4) **चरित्र** : आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के सम्बंधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

(5) **शारीरिक योग्यता** : आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ्य होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए।

(6) **आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज** :

1– जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
2– शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
3– दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
4– आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए।
5– जाति प्रमाण पत्र सत्यापित प्रति।

(7) **आवेदन की अन्तिम तिथि** : आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर मुख्यालय **अथवा संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति** के कार्यालय में दिनांक **.20.05.2023.** को समय दोपहर **01:00** बजे तक पहुंच जाना चाहिए। इस तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(8) **प्रकिया** : पी.एल.वी. चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उन्हें शोर्टलिस्टंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। शार्टलिस्ट सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर एवं संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी।

(9) **पारिश्रमिक** : चयनित पी.एल.वी. को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा समय समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पेकेज नहीं दिया जायेगा।

(10) **ऐसा व्यक्ति जो राजनैतिक एवं वकालत क्षेत्र से जुडा हो, वह पीएलवी हेतु अयोग्य समझा जायेगा।**

सेवानिवृत्त अध्यापक या सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, एम.एस.डबल्यू, छात्र व अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, डाक्टर/फिजिशियन, विधि विद्यार्थी (जब तक वे लायर (वकालत) के लिए

एनरोल न हो), गैर राजनीतिक सदस्य, एन.जी.ओ., क्लब्स महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समूह, शिक्षित बंदी जिसका अच्छा व्यवहार हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो, अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सक्षम व योग्य समझे, पैरा लीगल वोलेन्टीयर पद के लिए आवेदन कर सकता है।

चयनित पी.एल.वी. के कर्तव्य (ड्यूटी) :

1– समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।

2– आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिए निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।

3– पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिए दूरभाष संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत कराना।

4– पीडित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.सं. की धारा 357–ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी देना।

5– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना।

6– बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वोयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना।

7– विवादों का सेटलमेन्ट, प्रिलीटीगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, मीडिएशन के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।

8– पी.एल.वी. द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उनके क्षैत्र में होने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।

9– पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा व अस्पताल सम्बन्धी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते हैं।

10– पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी उपलब्ध कराये गये मेटेरियल को प्रचार व प्रसार करना।

11– प्रत्येक पैरा लीगल वालेन्टीयर लीगल एड क्लीनिक पर निर्धारित दिवस व समय पर उपस्थित रहेंगे।

12– प्रत्येक पैरा लीगल वोलेन्टीयर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र एवं दिशा निर्देशों की पालना करेंगे तथा समय समय पर बुलाये जाने पर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

13– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किसी भी लीगल एड क्लीनिक का निर्धारित कार्य दिवस पर किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा।

14– सभी पैरा लीगल वोलेन्टीयर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में अपना कार्य रजिस्टर संधारित करेंगे।

15– सभी पैरा लीगल वोलेन्टीयर का कार्यकाल उसके द्वारा दी जाने वाली संतोषप्रद सेवाओं एवं कार्यानुसार रहेगा।

नोट :– आवेदनकर्ता संलग्न प्रारूप में आवेदन करें।

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
अलवर (राज0)

कमांक : 2050-2072 दिनांक : 02/05/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1- श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2- श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, तालुका विधिक सेवा समिति, बहरोड/किशनगढबास/राजगढ/लक्ष्मणगढ/तिजारा/बानसूर/कठूमर/मुण्डावर/थानागाजी, जिला अलवर।
3- श्रीमान् सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ/मालाखेडा/भिवाडी/कोटकासिम,/नीमराना जिला अलवर।
4- श्रीमान् जिला कलेक्टर, अलवर।
5- श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर।
6- श्रीमान् अध्यक्ष बार संघ, अलवर।
7- राजकीय विधि महाविद्यालय, अलवर/राजर्षि महाविद्यालय, अलवर/राजकीय गौरी देवी महिला महाविद्यालय, अलवर/बाबूशोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर।
8. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश)
अलवर (राज0)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर(राज0)

पैरा लीगल वॉलंटीयर्स (पी.एल.वी.) के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

1– नाम आवेदक	:–	....	अभ्यर्थी का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो
2– पिता / पति का नाम	:–	....	
3– आवेदक के पति / पत्नी का नाम (यदि विवाहित है तो) (यदि आवेदक अविवाहित है तो स्पष्टतः ''अविवाहित'' लिखें)	:–	....	

4– जाति :– ....

5– संवर्ग–सामान्य / अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. (जिस संवर्ग से संबंधित हो वो लिखें) :– ....

6– स्थायी पता मय दूरभाष / :– ....

मोबाईल नम्बर :– ....

7– वर्तमान पता :– ....

8– निकटतम पुलिस स्टेशन :– ....

9– निकटतम जिला मुख्यालय अलवर,अध्यक्ष ताल्लुका / बहरोड / किशनगढबास / राजगढ / लक्ष्मणगढ / तिजारा / बानसूर / कठूमर / मुण्डावर / थानागाजी

10– जन्म तिथि (अंकों में) :– ....

(शब्दों में) :– ....

वर्तमान आयु :– ....

11– शैक्षणिक योग्यता :– ....

12– यदि आवेदक सेवानिवृत्त कर्मचारी है, तो किस पद से सेवानिवृत हुए :– ....

13– आवेदक के विरूद्ध कोई फौजदारी प्रकरण लंबित है अथवा नहीं यदि है तो पूर्ण विवरण :– ....

14– राष्ट्रीयता :– ....

15– आवेदक पीएलवी के रूप में 1. अलवर मुख्यालय, ...

2. ग्राम पंचायत .... 3. ग्राम पंचायत ....

4. ग्राम पंचायत .... 5. ग्राम पंचायत ....

स्वेच्छा से कार्य करने हेतु तैयार है।

16– आवेदक वर्तमान में किसी संस्था, N.G.O. या किसी विशेष ग्रुप से जुडा है तो उसका विवरण लिखें :– ....

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)

मैं .... सत्यापित करता / करती हूं कि प्रार्थना पत्र में अंकित उपरोक्त सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है।

दिनांक :

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)

प्रारूप सं. 01

क0सं0	अलवर मुख्यालय / पंचायत समिति	संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति / मुख्यालय **जहां आवेदन किया जाना है**	पैरा लीगल वॉलिन्टियर्स की संख्या
01.	अलवर मुख्यालय	अलवर मुख्यालय	10
02	उमरैण		04
03	रामगढ		04
04	मालाखेडा		04
05	लक्ष्मणगढ	लक्ष्मणगढ	04
06	गोविन्दगढ		04
07	कठूमर	कठूमर	04
08	भनोखर		04
09	रैणी	राजगढ	04
10	राजगढ		04
11	किशनगढबास	किशनगढबास	04
12	कोटकासिम		04
13	तिजारा	तिजारा	04
14	बहरोड	बहरोड	04
15	नीमराना		04
16	मुण्डावर	मुण्डावर	04
17	बानसूर	बानसूर	04
18	थानागाजी	थानागाजी	04
कुल संख्या			**78**